

In the Court of Circle Officer at Raigarh,
M.C. NO. 1009/2011-12 D.D. 24.02.12
Applicant - Kalpana Choudhary of final order,
Date of application 17.02.12 Date of filling 17.02.12 Date of ready order 18.02.12

आदेश

24.02.12

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत बाब आवेदक/आवेदिका श्री मती

श्री मती चौधरी प्रतापति श्री अमर प्रकाश चौधरी
जगतपुर धाना वांका

जिला वांका डाग दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका

मोगा नीलकेसूर उर्फ गुरपुर धाना सं० 415

कच्चा संख्या 184/1 रकबा 1800 वर्ग फीट

हा नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक से स्थानीय यो राजस्व अभिलेखों का जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रकबा को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी यो अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण हेतु प्रस्तावित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 1053 दिनांक 9.4.10

द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलदार है। विषयगत जमीन बसोड़ी मत्व की है तथा भू-दान, लीज एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका के नाम में स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण अनुशंसा की है।

अतः हल्का कर्मचारी यो अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण

कच्चा एवं अनापत्ति के आधार पर मोगा नीलकेसूर उर्फ गुरपुर धाना

सं० 415 कच्चा संख्या 184/1 धाना सं० 7 P.P. 188 P. 189

रकबा 1800 वर्ग फीट का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री मती

श्री मती चौधरी प्रतापति श्री अमर प्रकाश चौधरी

जगतपुर धाना वांका

जिला वांका के नाम से स्वीकृति दी जाती

है। सहायसित लगान 10=40 ठो अलावे सेस बसुलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका

से 5=00 रुपये नां शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र

निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

रीकृत कराया एवं शुद्ध किया।

(Signature)
अंचल अधिकारी,
देवघर

सचिवों प्रमाणित प्रतिलिपि

(Signature)
अंचल अधिकारी,
देवघर



C.F. NO. 1009

शुद्धि पत्र 4
(Signature)

15/2/12
14.2.12
15/2/12
2012

NOTARY (REGD NO 22500)
GOVT OF JHARKHAND
JIST JHARKHAND INDIA

किया गया।
17.02.12

मिलान किया
17/02/12

प्रधान सचिव
अंचल कार्यालय, देवघर
1872 के अधिनियम 1 को द्वारा
76 के अन्तर्गत अंगिकृत।

Kalpama choudhary